उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या -140/2018/1718/71-1-2018-जी0-168/2011टी0सी0

लखनऊः दिनांक 24 मई, 2018

<u>कार्यालय ज्ञाप-</u>

डा० रागिनी महरोत्रा, सेवानिवृत्त आचार्य, आब्स एण्ड गायनी को राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में आब्स एण्ड गायनी विशिष्टता में आचार्य के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकितसा शिक्षा एवं प्रशिक्षण् उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/7, दिनांक 12-04-2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डा० रागिनी महरोत्रा, सेवानिवृत्त आचार्य, आब्स एण्ड गायनी को राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के आब्स एण्ड गायनी विभाग में रिक्त सहआचार्य के पद के सापेक्ष आचार्य पदनाम के साथ संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/ तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक -:

1- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।
2- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे
3- मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।
5- निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6- स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
7- संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे।

3- उक्त चिकित्सा शिक्षक को शासनादेश दिनांक 22-01-2015 में प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।

4- शासनादेश संख्या-4661/71-1-2018-जी0-63/2008, दिनांक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-सी०एम०-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-1-2015, शासनादेश संख्या-909/71-1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-01-2015, शासनादेश संख्या-2282/71-1-2013-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जी0-11/2011, दिनांक 13-09-2013 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-2010-जी0-63/2008, दिनांक 07-06-2010 में निर्धारित अन्य सुसंगत श्र्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

5- संविदा पर तैनात किये गये अभ्यर्थिनी का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या-140/2018/1718/(1)71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
5- कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
6- संबंधित अभ्यर्थिनी/चिकित्सक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।